(6V)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	540/2021 पपाराम / भरतहरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/11/21	कार्यालय रिपोर्ट होकर पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर करें। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलान्ट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार दिलसुखराम व लालूराम कौम मीना थे एवम् उक्त वादग्रस्त भूमि में से 60 बीघा भूमि प्रार्थीगण के पूर्वज बीजिया ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व ही दिनांक 02/10/1946 को क्रय कर ली थी एवम् मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया था, जिसके राजसी आदेश डिप्टी कमिश्नर की प्रति अधिनस्थ न्यायालय एवम् इस अपील के साथ भी प्रस्तुत की गयी है, जिससे अपीलार्थी का प्रथमदृष्टया प्रकरण स्पष्ट रूप से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सिद्ध था। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील के साथ प्रस्तुत खसरा गिरदावरीयो, आवंटन पत्र, विद्युत कनेक्शन तथा आधार कार्ड, पहचान पत्र की प्रतियो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी का विवादग्रस्त भूमि पर निरन्तर काबिज होकर कब्जा काश्त उक्त दस्तावेजो के अवलोकन मात्र से ही सिद्ध था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस पर गौर नहीं कर आदेश जेर अपील गलत रूप से पारित कर दिया	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	540/2021 श्यामराम / भरतहरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गया है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी एवम् उनके पुर्वज निरक्षर होने से अपनी कब्जाशुदा आराजी का अंकन राजस्व रिकार्ड मे नही करवा सके, जिसका लाभ उठाकर अप्रार्थीगण/रेस्पोन्डेन्टस विवादग्रस्त भूमि से अप्रार्थीगण/अपीलान्टस को बेदखल कर बेचान व निर्माण करने पर उतारू है, जिसमे यदि वे कामयाब हो जाते है तो अपीलार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होगी किन्तु उक्त समस्त तथ्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रकट करने पर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उस पर कोई विवेचन नही करते हुये अप्रार्थीगण को सुने जाने का अंकन करते हुये सरसरी तौर पर ही आदेश जेर अपील पारित कर दिया गया। अतः विवादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे। हमने बहस अभिभाषक अपीलार्थी पर गौर किया एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ विभिन्न दस्तावेजात प्रस्तुत कर बहस के दौरान प्रस्तुत दस्तावेजात की प्रतियो की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया गया है कि अपीलार्थी का विवादग्रस्त आराजी मे से 60 बीघा हद तक निरन्तर कब्जा काश्त सिद्ध होने से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	540/2021 श्योराम / भरतहरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	3 प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता था, जिस पर कोई गौर नही कर एवम् कोई विवेचन नही करते हुये आदेश जेर अपील गलत रूप से पारित कर दिया गया है। इस सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 20/11/21 का अवलोकन किया गया, जिससे अपीलार्थी के कथनो की पुष्टी होती है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो एवम् दस्तावेजात पर प्रथमदृष्टया कोई संज्ञान नही लेकर एवम् कोई विवेचन किये बगैर आदेश जेर अपील पारित किया गया है जबकी अधिनस्थ न्यायालय के लिये यह आवश्यक था कि वे उनके समक्ष प्रार्थी/अपीलार्थी जो इस अपील के अपीलार्थीगण है, के द्वारा प्रस्तुत तथ्यो/दस्तावेजात का परिक्षण/विवेचन कर प्रथमदृष्टया प्रकरण बनता है अथवा नही का स्पष्ट अंकन/विवेचन कर आदेश पारित करते किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही आदेश जेर अपील पारित कर दिया गया है, जो न्यायसंगत प्रतीत नही होता है। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष प्रस्तुत तथ्यो का प्रथमदृष्टया परिक्षण/विवेचन करते हुये पुनः आदेश पारित करे। अपीलार्थी को निर्देश दी (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	540/2021 श्यामराम / भरतहरी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 5	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाते है कि वे अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16/12/2021 को उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। तब तक विवादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जाकर विवादग्रस्त भूमि पर कोई निर्माण नहीं किया जावे। तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 30/11/21 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। [signature] राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	